मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

//आदेश//

भोपाल दिनांक 28/11/2020

क्रमांक/1354/1566/2020/10-1 :: राज्य शासन एतद्-द्वारा श्री गयाप्रसाद मिश्रा (वरियता क्रमांक 236अ) उप वनक्षेत्रपाल को उनसे कनिष्ठ श्री छोटेलाल गौर (वरियता क्रमांक 237) को वनक्षेत्रपाल के पद पर दी गई पदोन्नति दिनांक 04.07.2014 से वेतनमान रू. 9300-34800+3600 ग्रेड पे में "कार्य नहीं वेतन नहीं" के सिद्धांत के आधार पर पदोन्नति प्रदान करता है।

2/ म0प्र0 लोक सेवा पदोन्नति नियम 2002 के अधीन सुविधा सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टि रोस्टर पंजी में की जायेगी।

3/ प्रमाणित किया जाता है कि म0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 क. 21 सन् 1994 तथा म0प्र0 लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के उपबन्ध और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये आदेशों का अनुपालन किया गया है। उसे उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबन्धों का पूर्ण संज्ञान है।

Email.
25/11/20

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(विजया पुनवटकर)
अवर सचिव
म.प्र. शासन वन विभाग
भोपाल दि.28/11/2020

पृ0 क्रमांक/1355/1566/2020/10-1
प्रतिलिपि :-

(1) सचिव, म0प्र0लोक सेवा आयोग, इन्दौर।
(2) प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म0प्र0 भोपाल।
(3) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-II), म0प्र0 भोपाल की ओर प्रेषित कर लेख है कि म.प्र. लोक सेवा पदोन्नति नियम 2002 के रोस्टर अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टि रोस्टर पंजी में दर्ज कर अवगत करायें।
(4) मुख्य वन संरक्षक उज्जैन म0प्र0।
(5) विशेष सहायक, मान. मंत्री जी भोपाल।
(6) वनमण्डलाधिकारी उज्जैन म0प्र0।

D:\GHAN-Forest\pandey sir\Letter 1.docx

(7) श्री गयाप्रसाद मिश्रा, वनक्षेत्रपाल द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.–II), म0प्र0 भोपाल।

(8) गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
म.प्र. शासन वन विभाग

कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (प्रशा–II) म.प्र. भोपाल।
पृ.क्रमांक/प्रशा–II/शिकायत/05/ 5304 भोपाल दिनांक 28/11/[illegible]-20
प्रतिलिपि :-
मुख्य वनसंरक्षक उज्जैन वृत्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया आवेदक श्री गया प्रसाद मिश्रा उप वनक्षेत्रपाल को अवगत कराने का कष्ट करें।

AFCCF (Admn.-II)
M.P., BHOPAL

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 27.06.2020

क्रमांक 16204/3984/2015/10-1 :: उप वन क्षेत्रपाल से वन क्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 09.09.2015 में श्री आर. ए. श्रीवास्तव, उप वन क्षेत्रपाल (विचारण क्षेत्र की सूची का सरल क्रमांक – 04 पदक्रम सूची वर्ष 2014 में वरीयता क्रमांक – 28) के नाम पर विचार किया गया था, तत्समय श्री श्रीवास्तव के विरूद्ध विभागीय जांच दण्ड आदि की जानकारी निरंक थी। अतः पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 09.09.2015 में श्रीवास्तव को पदोन्नति के योग्य पाया था।

2/ पदोन्नति समिति की बैठक के बाद मुख्य वन संरक्षक, भोपाल के आदेश क्रमांक 359 एवं 360 दिनांक 26.09.2015 द्वारा श्री आर. ए. श्रीवास्तव, उप वन क्षेत्रपाल को कारण बताओ सूचना पत्र में परिनिंदा की शास्ति से दण्डित किया गया। इस कारण श्री आर. ए. श्रीवास्तव उप वनक्षेत्रपाल की पदोन्नति नहीं की गई। श्री आर. ए. श्रीवास्तव द्वारा मुख्य वन संरक्षक भोपाल के उपरोक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जिसे मान्य करते हुये अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सतर्कता एवं शिकायत) के आदेश क्रमांक 29 दिनांक 31.03.2016 द्वारा मुख्य वन संरक्षक, भोपाल के आदेश कमांक 359, 360 को निरस्त किया गया। मुख्य वन संरक्षक, भोपाल के आदेश निरस्त करने से श्री आर.ए. श्रीवास्तव के विरुद्ध कोई दण्ड प्रभावशील नहीं रहा।

3/ तत्पश्चात् श्री आर. ए. श्रीवास्तव द्वारा उन्हें पदोन्नत न करने के कारण माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में याचिका क्रमाक 21448/2017 दायर की जिसमें उन्होंने उपवनक्षेत्रपाल से वनक्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नत न किये जाने का लेख किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ जबलपुर द्वारा दिनांक 08.12.2017 को निम्नानुसार आदेश पारित किया गया –

Accordingly, this petition disposed of by directing the petitioner to resubmit the said representation along with copy of this order before the respondent number 1. In turn, the said respondent shall consider and decide it in accordance with law by reasoned order within 60 days. The outcome shall be communicated to the petitioner.

4/ माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के उक्त आदेश के अनुपालन में श्री आर.ए.श्रीवास्तव उप वन क्षेत्रपाल ने अपना अभ्यावेदन दिनांक 12.12.2017 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश को प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने समस्त लाभों सहित पदोन्नति देने का निवेदन किया, जो प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा शासन को प्रेषित किया गया। उक्त अभ्यावेदन के परिप्रेक्ष्य में सामान्य प्रशासन विभाग की टीप दिनांक 04.07.2016 के प्रकाश में श्री आर.ए. श्रीवास्तव को पत्र क्रमांक 309/3984/2015/10-1 दिनांक 13.02.2018 से अवगत कराया गया कि पदोन्नति के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30.04.2016 के संदर्भ में यथास्थिति बनाये रखने के अंतरिम आदेश जारी किये गये है ऐसी स्थिति मे म.प्र.सिविल सेवा पदोन्नति नियम 2002 के अधीन किसी भी प्रकार का कार्यवाही किये जाने का परामर्श नहीं दिया जा सकता।

5/ तत्पश्चात् श्री आर.ए. श्रीवास्तव उपवनक्षेत्रपाल द्वारा दिनांक 26.10.2018 को अपर मुख्य सचिव वन को संबोधित अभ्यावेदन योग्य प्रणाली के माध्यम से प्रस्तुत किया जिसे अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रशासन-।। के द्वारा अग्रिम कार्यवाही हेतु शासन स्तर पर प्रेषित किया गया। श्री आर.ए. श्रीवास्तव ने अपने अभ्यावेदन में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा श्री के.एस.गौतम तहसीलदार के पदोन्नति प्रकरण में की गई पदोन्नति हेतु अपनाये गये मापदण्ड अनुसार मापदण्ड अपनाते हुये दिनांक 13.02.2018 के आदेश को अपास्त करते हुये पदोन्नत करने का अनुरोध किया गया ।

6/ श्री के.एस.गौतम तहसीलदार के बाबत सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 25.08.2018 में उल्लेखित प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इंदौर में रिट पिटिशन क्रमांक 45/2017 में दिनांक 04.10.2017 को पारित आदेश के कार्यकारी अंश निम्नानुसार है :—

In the present case the petitioner was considered by the DPC and based upon the recommendation of the same DPC, as many as 38 Tehsildars have been posted as Dy. Collector. The order of status quo will not come in the way of the petitioner as in the case of the petitioner the issue of reservation is not involved at all. It is a case of opening of the sealed cover and, therefore, in the considered opinion of this Court the writ petition deserves to be allowed and is accordingly allowed.

The respondents are directed to open the recommendation of the DPC, within a period of 30 days from today. The writ petition stands allowed with the following directions :-

a. The respondents shall open the sealed cover within a period of 30 days from today and shall also pass an appropriate consequential order based upon the recommendation within the aforesaid period.

b. The writ petitioner shall also be entitled for backwages, seniority and all other consequential benefits by treating him at par with his juniors, in case he is found fit by DPC for promotion.

c. Exercise fo granting consequential benefits, in case promotion order is issued in respect of the petitioner, be concluded within a period of 90 days from the date of receipt of certified copy of this order.

7/ उपरोक्त रिट अपील खारिज होने के बाद प्रकरण में शासकीय महाधिवक्ता, जबलपुर के अभिमत के आधार पर शासन द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 01.05.2018 को निम्नानुसार आदेश पारित किया है :—

Delay condoned. We find no reason to entertain this special leave petition, which is accordingly, dismissed.

उक्त माननीय न्यायालयों के निर्णय के अनुपालन में श्री कुशल सिंह गौतम, तहसीलदार के प्रकरण में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पदोन्नत आदेश दिनांक 25.08.2018 जारी किया है।

8/ तत्पश्चात् श्री आर.ए. श्रीवास्तव के वनक्षेत्रपाल पद पर पदोन्नति बाबत प्रशासकीय अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया जिस पर माननीय वन मंत्री जी द्वारा विधि/वित्त विभाग के स्पष्ट अभिमत प्राप्त करने के निर्देश दिये। उक्त निर्देश कि संदर्भ में विधि विभाग द्वारा अपनी टीप 5321 दिनांक 17.03.20 से निम्नानुसार मत दिया:—

प्रशासकीय विभाग को अवगत कराया जाता है कि मान. उच्च न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका (सिविल) क्र. 13954/2016 स्टेट ऑफ म.प्र. विरुद्ध आर.बी. राय में दिनांक 12.05.2016 को पारित आदेश ऐसे मामलों बाधक नहीं हैं जिनमें डी.पी.सी. हो चुकी है जिनमें किन्हीं कारणों से पदोन्नति रोक दी गई थी। श्री श्रीवास्तव का अभ्यावेदन इस आधार पर निरस्त करना न्यायसंगत नहीं है कि माननीय उच्च न्यायालय ने उपरोक्त मामले में यथास्थिति का आदेश दिये हैं। यदि अन्य कोई कारण नहीं तो संक्षेपिका अनुसार श्री श्रीवास्तव को पदोन्नति दी जा सकती है।

तत्पश्चात नस्ती वित्त विभाग के मत हेतु अंकित की गई। वित्त विभाग द्वारा अपनी टीप दिनांक 05.06.2020 से निम्नानुसार अभिमत दिया :—

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा लोक सेवा आयोग को प्रेषित पत्र दिनांक 09.04.19 में यह अभिमत दिया गया है कि एस.एल.पी. 13954/2016 में पारित आदेश दिनांक 12.05.2016 उक्त

आदेश के पूर्व के डी.पी.सी. के आधार पर पदोन्नति के संबंध में निर्णय लिये जाने में बाधक नही है। विधि विभाग के अभिमत मे भी इस तथ्य का लेख है। अतः विभाग का ध्यान उपवर्णित पत्र की ओर आकर्षित कर तदनुसार कार्यवाही पर विचार किये जाने का लेख है। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 15.05.2020 के संदर्भ में परामर्श अपर मुख्य सचिव स्तर से जारी किया जा रहा है।

9/ प्रकरण में समस्त अभिलेखों/न्यायालयीन निर्णयों/विधि एवं वित्त विभाग के अभिमत के आलोक में एवं विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 09.09.2015 में अनारक्षित वर्ग के श्री आर.ए.श्रीवास्तव, उप वन क्षेत्रपाल (वरीयता क्रमांक – 28) के संबंध में समिति द्वारा उन्हें पदोन्नति के योग्य पाया है।

10/ अतः विधि के समक्ष समानता के अवसर को ध्यान में रखते हुये राज्य शासन एतदद्वारा श्री आर.ए.श्रीवास्तव, उप वन क्षेत्रपाल को उनसे कनिष्ठ श्री बृजभूषण भदोरिया (वरीयता क्रमांक 03) के वन क्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति दिनांक 28.11.2015 से राज्य वन सेवा के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान पी.बी.रूपये 9300–34800+3600 ग्रेड पे में कार्य नहीं वेतन नही के सिद्धांत के आधार पर प्रोफार्मा पदोन्नति प्रदान करते हुये, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त तक स्थानापन्न रूप से वन क्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नत करता है। पदस्थापना के संबंध में पृथक से आदेश जारी किया जायेगा।

11/ मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के अधीन सुविधा सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर पंजी मे पदोन्नति की प्रविष्टि नही की गई है, क्योंकि वर्तमान में पदोन्नति नियम, 2002 अस्तित्व में नही है।

12/ पदोन्नत पद पर वेतन निर्धारित करने के लिए पदोन्नत अधिकारी को आदेश प्राप्ति के दिनांक से एक माह के अदर वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 8/2009/नियम–4 दिनांक 23 मार्च, 2009 के अनुसार अपना विकल्प प्रस्तुत करना होगा।

13/ उपरोक्त पदोन्नति मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अंतर्गत 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिये होगी।

14/ उपरोक्त पदोन्नति आदेश प्रकरण में उल्लेखित न्यायालयीन निर्णयों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, इसे किसी भी अन्य प्रकरण में पूर्व उदाहरण नहीं माना जावेगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(विजया पुनवटकर)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

E:\Ent Order\Order doc1.doc

1005
पृष्ठ क्रमांक, /3984/2015/10–1 भोपाल,दिनांक 27.06.2020

प्रतिलिपि :–

1. महालेखाकार मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (प्रशासन–।।) मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. संचालक पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना मध्यप्रदेश।
5. वनमण्डलाधिकारी, पन्ना वन मंडल (सामान्य)।
6. निज सचिव, प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
7. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल।
8. संबंधित अधिकारी श्री आर. ए. श्रीवास्तव, उप वन क्षेत्रपाल द्वारा–अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (प्रशासन–।।) मध्यप्रदेश, भोपाल।
9. गार्ड फाइल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

APCCF (A-II)
प्र. मु. व. सं.
म. प्र. भोपाल

3367
29-6-2020

स्था. 05/3

APCCF (Admn.-II)
M.P., BHOPAL

378
30/6/2020

क्र/प्रशा-II/गोपनीय/05/2508 भोपाल दिनांक 03/07/2020

प्रतिलिपि :-

(1) मुख्य वन संरक्षक भोपाल वृत्त भोपाल/छतरपुर वृत्त/
(2)- संचालक पन्ना टाईगर रिजर्व पन्ना छतरपुर/
(3)- श्री आर. ए. श्रीवास्तव उपवनक्षेत्रपाल द्वारा - नियंत्रक अधिकारी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
(4) - प्रतिलिपि स्था-3 कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा-II) म. प्र. भोपाल की सूचनार्थ अग्रेषित।

1/7/2020
सहायक वन संरक्षक (प्रशा-II)
मध्यप्रदेश, भोपाल

E:\Esst Order\Order doc1.doc